I/23463/2024

Speed post /त्रिव डाक

Show-cause Notice/कारण बताओ नोटिस

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखूपुरा ओद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

संख्या:MCDR-MiFL0LST/18/2023-AJM-IBM_RO_AJM दिनांक: 08/01/2024

प्रेषित: खान एजेंट,
राास-II चूना पत्थर खान,
मेसर्स अंबूजा सीमेंट लिमिटेड,
पोस्ट राबरियावास
तहसील जैतारण, जिलापाली (राजस्थान),
पिन: 306709

(e-mail:sandeep.singh9@adani.com, rajnish.bora@adani.com)

विषय: राजस्थान राज्य के पाली जिले में स्थित आपकी रास-II चूना पत्थर खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

इस कार्यालय के डॉ. ए. जेड. खान, क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी द्वारा दिनांक 19.12.2023 को किये गये उपरोक्त खान के निरिक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधो का उल्लघन पाया गया-

Rule	Status and extent of violation
45(7)	On examination of Annual Return for the year 2022-23 following discrepancies have been observed: (i) Part I(3) Uploaded PMCP report template: No. of plants planted in the lease area is given for 2021-22 in place of 2022-23 (ii) Part III(1)(iii) Electricity: The electricity generated is given as Zero. But the information submitted to IBM through star rating template, the source from green/renewable energy is given as 350766 Kwh. (iii) PartV(4) Overburden and waste: Entire quantity of waste generated during the year (606740 cubic meter) has been shown under total at the end of year. It should be equal to the quantity at the beginning and the quantity dumps during the year excluding the quantity Backfilled during the year. (iv) PartV(4) Overburden and waste: The quantity Backfilled during the year is given as 20100 cubic meter. But in the uploaded PMCP report the backfilled area is given as zero. (v) Part VII: In the last table the production proposal for financial year 2022 – 2023 is given as zero.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवंविकास नियमावली , 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन कीअनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली , 2017 के अंतर्गत:

(क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

Generated from eOffice by AJAY KUMAR JATOLIA, AME(AKJ), IBM_RO_AJM, REGIONAL OFFICER AJMER (ASSISTANT MINING ENGINEER), IBM_RO_AJM on 22/05/20

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे की समाप्ति की सिफारिश की जा सकती है।

03. इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज सरंक्षण एवं विकास (संशोधन) नियम 2021 कि अनुसूची -2 के प्रावधान लागू होंगे।

04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 30 (तीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

05. कृपया ध्यान रखें कि भविष्य में आपको इस संदर्भ मे कोई सूचना अथवा अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा ।

भवदीय

(चन्द्रेश बोहरा)
उप खान नियंत्रक (प्रभारी)
भारतीय खान ब्यूरो

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः</u>

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्युरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, सोजत, जिला पाली।
4. रक्षित पत्रवली।

उप खान नियंत्रक (प्रभारी

Generated from eOffice by AJAY KUMAR JATOLIA, AME(AKJ) IBM_RO_AJM, REGIONAL OFFICER AJMER (ASSISTANT MINING ENGINEER), IBM_RO_AJM on 22/05/2